मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल-462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003
(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

क्र.प्रशा./स्था./2026/ 822 **दिनांक:** 16 **/06/2026**

//सूचना//

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संस्थान के सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य एवं प्रभावी रूप से संचालित है, जिसमें नियमित कर्मचारी, संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त संविदा कर्मचारी तथा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित जनशक्ति भी शामिल है। तथापि, यह संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारी केवल उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) में हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति अंकित नहीं कर रहे हैं, जो कि संस्थान के निर्देशों का उल्लंघन है।

2. अतः तत्काल प्रभाव से, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में दर्ज उपस्थिति को वेतन/मजदूरी के प्रसंस्करण एवं भुगतान हेतु प्राथमिक आधार माना जाएगा। केवल उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना, यदि उसके अनुरूप बायोमेट्रिक उपस्थिति उपलब्ध नहीं है, तो वैध उपस्थिति नहीं माना जाएगा। यदि उपस्थिति पंजिका एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में दर्ज उपस्थिति में कोई अंतर पाया जाता है, तो दोनों में से कम अवधि की उपस्थिति को वेतन/मजदूरी की गणना एवं भुगतान के लिए मान्य माना जाएगा।

3. भविष्य में ऐसे कर्मचारी/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित जनशक्ति, जिन्होंने स्वयं को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकृत नहीं कराया है अथवा जो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, संबंधित अवधि के लिए वेतन/मजदूरी प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति अभिलेखों का अभाव वेतन/मजदूरी के उद्देश्य से ड्यूटी से अनुपस्थिति माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे नियमित (Regularize) अथवा छूट प्रदान न की गई हो।

4. सभी विभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रभारियों, नियंत्रण अधिकारियों तथा पर्यवेक्षण संबंधी दायित्व निभाने वाले अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा यह सत्यापित करें कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी कार्मिक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में विधिवत पंजीकृत हैं और नियमित रूप से उसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति अंकित कर रहे हैं।

5. सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की जाती है।

16/06

(कुलसचिव)

प्रति,
सभी संबंधित कर्मचारी
प्रतिलिपि:

1. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी।
2. संयुक्त कुलसचिव (संपदा/स्थापना)।
3. सहायक कुलसचिव (स्थापना) / सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा)।
4. सभी सेवा प्रदाता।
5. संस्थान की वेबसाइट/सूचना पट्ट।
6. कुलसचिव के निजी सहायक – अभिलेख हेतु।
7. निदेशक के निजी सहायक – निदेशक महोदय की जानकारी हेतु।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल-462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003
(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

No. AB/Estt./2026/ 822 **Date:** 16**.06.2026**

NOTICE

It is reiterated that the Biometric Attendance System is operational and mandatory for all non-teaching employees, including regular employees, contractual employees engaged directly by the Institute, as well as manpower engaged through service providers. However, it is noted that some employees are marking attendance only in the Attendance Register without recording their attendance through the Biometric Attendance System, which is a violation of the Institute's instructions.

2. Accordingly, with immediate effect, attendance recorded through the Biometric Attendance System shall be treated as the primary basis for processing and release of salary/wages. Mere signing of the Attendance Register shall not be considered valid attendance in the absence of a corresponding biometric record. In cases where the attendance recorded in the Attendance Register and the Biometric Attendance System differs, the lesser of the two records shall be considered for calculation and release of salary/wages.

3. Henceforth, employees/ outsourced manpower through service providers who have not enrolled themselves in the Biometric Attendance System or who fail to mark their attendance through the Biometric Attendance System shall not be eligible for release of salary/wages for the concerned period. Absence of biometric attendance records shall be treated as absence from duty for the purpose of salary/wages, unless the same is specifically regularized or exempted by the Competent Authority for reasons recorded in writing and accepted by the Competent Authority.

4. All Heads of Departments/Sections, Controlling Officers, and officials responsible for supervision are requested to ensure strict compliance with these instructions and to verify that all personnel working under their administrative control are duly registered and regularly marking attendance through the Biometric Attendance System.

5. All concerned shall ensure strict compliance with these instructions.

This notice is issued with approval of the Competent Authority.

16/06

(Registrar)

To,

- **All employees concerned**

Copy to:

1. All Deans/Heads of Departments/Section In-charge.
2. Joint Registrar (Estate/Estt.)
3. Assistant Registrar (Estt.)/Assistant Registrar (F&A)
4. All Service Providers/Contractors.
5. Institute Website/Notice Board.
6. PA to Registrar - for record please.
7. PA to Director - for kind information of Director